न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/2/2019 अपील दायर दिनांक 19.08.2019

उनवान

1. श्रीमति पुष्पा देवी पत्नी परसाराम जाति भील निवासी भट्टो का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

वादी

बनाम

1. रतनलाल पिता प्रताप जाति भील निवासी कपासन तहसील कपासन।
2. प्यारी पत्नी मांगु जाति भील निवासी बाडिया (परसाखेडा) तहसील कपासन।
3. कंकुबाई पत्नी काशीराम जाति भील निवासी जितीया तहसील कपासन।
4. भेरीबाई पत्नी रतनलाल जाति भील निवासी कपासन तहसील कपासन।
5. संगारी पत्नी शंकर जाति भील निवासी माताजी का खेडा तहसील कपासन।
6. सरपंच ग्राम पंचायत निम्बाहेडा तहसील कपासन।
7. पटवरी ग्राम पंचायत निम्बाहेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. तहसीलदार कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत 75 एल.आर..एक्ट

निर्णय दिनांकः 03.12.2019

—:निर्णयः—

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलान्ट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट के इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा राजपुरा पटवार हल्का केसरखेडी तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में आराजीयात आराजी नम्बर 10 रकबा 0.26 हेक्ट0, आराजी नम्बर 11 रकबा 0.04 हेक्ट0, आराजी नम्बर 12 रकबा 1.10 हेक्ट0, आराजी नम्बर 2 रकबा 0.46 हेक्ट0, आराजी नम्बर 20 रकबा 0.28 हेक्ट0, आराजी नम्बर 21 रकबा 0.17 हेक्ट0, आराजी नम्बर 26 रकबा 0.07 हेक्ट0, आराजी नम्बर 3 रकबा 0.82 हेक्ट0, आराजी नम्बर 4 रकबा 0.67 हेक्ट0, आराजी नम्बर 5 रकबा 0.10 हेक्ट0, आराजी नम्बर 8 रकबा 0.01 हेक्ट0, आराजी नम्बर 9 रकबा 0.54 हेक्ट0, कुल किता 12 कुल रकबा 4.52 हेक्ट0 स्थित है। उक्त आराजीयात में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपना हक हिस्सा 22/113 भाग विक्रय किया जिसकी किमत अपीलान्ट ने श्रीमान उपपंजीयन साहब कपासन के सामने दो गवाहन के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 3,11,976 /रू0 अक्षरे तेरह लाख ग्यारह

हजार नौ सौ छिहत्तर रूपयें नकद में दिये एवं मौके पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने सिपूर्द उनके हक हिस्से पर कब्जा अपीलान्ट को विक्रय के दिन ही करा दिया था जिस पर अभी अपीलान्ट ने मक्का व ज्वार की फसल बो रखी है। अपीलान्ट ने नामान्तरण खोलने की विधिक अवधी समाप्त होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 8 के यहां प्रार्थना पत्र दिनांक 28.06.2019 को पेश किया परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ने दिनांक 07.06.2019 को हि बिना किसी मौके पर भौतिक सत्यापन किये पंचायत कॉरम में मन मकसुद राजनैतिक पहुंच का दुरूपयोग कर न्यायालय की भावनाओं को ताक में रखते हुए नामान्तरण संख्या 215 दिनांक 07.06.2019 को अपीलान्ट के पक्ष में फैसल नही करके भारी भुल की जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है इस कारण दिनांक 07.06.2019 को कॉरम में किये गये फैसले को निरस्त कर अपीलान्ट के पक्ष में उक्त नामान्तरण पुनः खोले जाने का आदेश दिये जाने की अपील की । रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 को सयुक्त खोतेदार होने से पक्षकार बनाया है जिनसे कोई दाद नही चाही गई है दिनांक 02.08.2019 को नामान्तरण की प्रति प्राप्त करने से बिनाय अपील कारण पैदा होकर निरन्तर जारी है। अतः अपीलान्ट ने प्रार्थना की कि मौजा राजपुरा पटवार हल्का केसरखेडी तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में आराजीयात आराजी नम्बर 10 रकबा 0.26 हेक्ट0, आराजी नम्बर 11 रकबा 0.04 हेक्ट0, आराजी नम्बर 12 रकबा 1.10 हेक्ट0, आराजी नम्बर 2 रकबा 0.46 हेक्ट0, आराजी नम्बर 20 रकबा 0.28 हेक्ट0, आराजी नम्बर 21 रकबा 0.17 हेक्ट0, आराजी नम्बर 26 रकबा 0.07 हेक्ट0, आराजी नम्बर 3 रकबा 0.82 हेक्ट0, आराजी नम्बर 4 रकबा 0.67 हेक्ट0, आराजी नम्बर 5 रकबा 0.10 हेक्ट0, आराजी नम्बर 8 रकबा 0.01 हेक्ट0, आराजी नम्बर 9 रकबा 0.54 हेक्ट0, कुल किता 12 कुल रकबा 4.52 हेक्ट0 स्थित है। उक्त आराजीयात में रसेपोडेन्ट संख्या 1 ने अपना हक हिस्सा 22/113 भाग जो अपीलान्ट को दिनांक 20.03.2019 को विक्रय किया है उसमें अपीलान्ट को खातेदारी घोषित किया जावें तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 6 सरपंच ग्राम पंचायत निम्बाहेडाका इन्तकाल नामान्तरण संख्या 215 दिनांक 07.06.2019 के आदेश को निरस्त फरमा जाकर अपीलानन्ट के नाम पर पुनः क्रयशुदा आराजी का नामान्तरण खोला जाने का आदेश फरमाया जावें।

हमने अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण जरिये सम्मन तलब किया। रेस्पोडेन्टगण बावजुद सूचना के हाजिर नही आने से दिनांक 04.09.2019 को एक तरफा कार्यवाही की गई। बहस पत्रावली सुनी गई पत्रावली व सलग्न दस्तावेजों

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का अवलोकन किया। मुताबिक नामान्तरण प्यारी व किशन को भूमि के रूपये प्राप्त नही होने से नामान्तरण नही खोला। जो कि न्यायोचित प्रतित नही होता है अतः अपील अपीलान्ट आशिंक रूप से स्वीकार किया जाकर नामान्तरण संख्या 215 दिनांक 07.06.2019 ग्राम पंचायत निम्बाहेडा तहसील कपासन निरस्त किया जाता है व तहसीलदार कपासन को रिमाण्ड इस आशय से किया जाता है कि नामान्तरण की विधिवत जांच कर फैसल करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2019.12.24 11:36:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: